2:040-23308641

No. G-27031/5/2015-Adm/ 2612-24 Government of India Central Water Commission

Office of the Chief Engineer Krishna & Godavari Basin Organisation

> Room No. 204, K.G. Bhawan, #11-4-648, A C Guards Hyderabad - 500 004.

Dated: 3 JUL 2013

Fax: 040-23308642

Office Order

Subject:

Constitution of Medical Claims Committee of KGBO.

A Medical Claims Committee for examining the claims, that require the approval of Chief Engineer (Krishna & Godayari Basin Organisation), CWC, Hyderabad, is hereby constituted with the following members:

Deputy Director, O/o Chief Engineer 1.

- Chairman

Krishna & Godavari Basin Organisation, CWC, Hyderabad Assistant Director / Sub-Divisional Engineer (HQ)

- Member

2. Krishna & Co-ordination Circle, CWC, Hyderabad

Assistant Director / Sub-Divisional Engineer (HO) 3. Godavari Circle, CWC, Hyderabad

- Member

The types of medical reimbursement claims that will be examined by the Medical Claims Committee will be as detailed below:-

Claims that need not be sent to CWC (HQ)

- 1. Ex-post facto approval for treatment taken in emergency condition at private recognized hospitals.
- 2. Condonation of delay in submission of medical reimbursement claims.

Claims that need to be sent to CWC (HQ)

- 1. Ex-post facto approval for treatment taken in emergency condition at private unrecognized hospitals.
- 2. All medical reimbursement claims exceeding ₹2,00,000/-.
- `The Committee will meet once in a Fortnight (2nd / 4th week of every month) or as and when required, to consider the cases.
- The secretarial assistance for this Committee shall be provided by the Administration Section of the O/o Chief Engineer, Krishna & Godavari Basin Organisation, CWC, Hyderabad.

This issues with the approval of the Chief Engineer, Krishna & Godavari Basin Organisation, CWC, Hyderabad.

> (A. KRISHNA RAO) **Deputy Director**

To

- 1. Superintending Enginer, KCC/GC, CWC, Hyderabad.
- 2. Director, M&A Directorate, CWC, Hyderabad
- 3. Executive Engineer, LGD/UGD/LKD/UKD, CWC, Hyderabad/Pune.
- 4. Deputy Director, O/o CE(KGBO)/M&A Dte., CWC, Hyderabad
- 5. Concerned Member. Through SE, KCC/GC. (3 copies)
- ∠ 6. Assistant Director, O/o CE(KGBO), CWC, Hyderabad for uploading in the website of KGBO. Copy for information to
 - 1. Chief Engineer (HRM), Central Water Commission, New Delhi.
 - 2. Section Officer, Establishment-XIV Section, CWC, New Delhi.

दूरभाष: 040-23308641

फैक्स : 040-23308642

भारत सरकार केन्द्रीय जल आयोग मुख्य अभियंता कार्यालय कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन

क.सं. 204, के.जी. भवन, म.सं.11-4-648, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद - 500 004.

सं : जी-27031/5/2015-प्रशा./ २६12-27

^{दिनांक} : **3** JUL 2015

कार्यालय आदेश

विषय: कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे समिति का गठन।

चिकित्सा प्रतिपर्ति दावे के जांच से संबंधित, मुख्य अभियंता, कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्न लिखित सदस्यों की एक चिकित्सा दावे समिति गठित की जाती है:

1. उप निदेशक, मुख्य अभियंता कार्यालय

अध्यक्ष

कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन, के.ज.आ., हैदराबाद

-- सदस्य

2. सहायक निदेशक / उप-मंडलीय अभियंता (मुख्यालय)

- 41444

कृष्णा एवं समन्वय परिमंडल, के.ज.आ., हैदराबाद 3. सहायक निदेशक / उप-मंडलीय अभियंता (मुख्याव

ता (मुख्यालय) — सदस्य

सहायक निदेशक / उप-मंडलीय अभियंता (मुख्यालय) गोदावरी परिमंडल, के.ज.आ., हैदराबाद

- 2. इस समिति द्वारा जांच किए जाने वाले दावे निम्न लिखित प्रकार के हैं: केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को न भेजने वाले दावे
 - 1. आपातकालीन परिस्थिति में मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में चिकित्सा की प्रतिपर्ति के लिए कार्योपरांत अनमोदन।
 - 2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्रस्तुति में हुई विलम्ब की माफी के लिए अनुमोदन।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को भेजने वाले दावे

- 1. आपातकालीन परिस्थिति में गैर-मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में चिकित्सा की प्रतिपूर्ति।
- 2. वे सभी दावे जो ₹2,00,000/- से अधिक हो।
- 3. मामले को विचार करने के लिए इस समिति की बैठक हर पखवाडे में एक बार (हर महीने के दूसरे/चौथे हफ्ते) या जब-जब ज़रूरत पड़े, तब-तब आयोजन किया जाएगा।
- 4. **इस संबंध में आवश्यक सचिवीय सहायता मुख्य अभियंता कार्यालय, कृष्णा एवं गोदावरी बे**सिन संगठन, के.ज.आ., हैदराबाद के प्रशासन अनुभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

यह मुख्य अभियंता, कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, हैदराबाद के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

> (ए. कृष्णा राव) उप निदेशक

सेवा में.

1. अधीक्षण अभियंता, कृष्णा एवं समन्वय परिमंडल / गोदावरी परिमंडल, के.ज.आ., हैदराबाद।

2. निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकण निदेशालय, के.ज.आ., हैदराबाद।

3. अधिशासी अभियंता, निचली गोदावरी मंडल / उपरी गोदावरी मंडल / निचली कृष्णा मंडल / उपरी कृष्णा मंडल, के.ज.आ., हेदराबाद / पुणे।

4. उप निदेशक, मु.अ.का. (के.जी.बी.ओ) / प्र. एवं मू. निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, हैदराबाद।

5. संबंधित सदस्य। अधीक्षण अभियंता, कृ.स.प. / गो.प. द्वारा। (3 प्रतियां)

6. सहायक निदेशक, मुख्य अभियंता कार्यालय, कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, हैदरावाद, केजीबीओ वेबसाईट में अपलोड करने के लिए।

प्रति सूचनार्थः

- मुख्य अभियंता (मानव संसाधन प्रबंधन), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 2. अनुभाग अधिकारी, स्थापना-XIV अनुभाग, कमरा सं. 313, के.जे.आ., नई दिल्ली।